निष्पादन बैंक गारंटी-1 (पी बीजी-1) हेतु प्रपत्र

--------------में एफएम प्रसारण सेवा

भारत के राष्ट्रपति के विचार में अवर सचिव (एफएम), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए दिनांक 21.9.2005 को एनआईटी के माध्यम से अधिसूचित निविदा दस्तावेज में दिए गए शर्तों और निबंधनों पर ---------------में एफएम रेडियो प्रसारण सेवा स्थापित करने और चलाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए वित्तीय बोली प्रस्तुत करने हेतु -----------------(नाम और पता) को "पात्र इच्छुक पक्ष" ("क्यूआईपी") घोषित किया गया है, जहां यह निर्धारित किया गया है कि क्यूआईपी कथित निविदा दस्तावेज की शर्तों और निबंधनों समझने और निष्पादन के लिए सुरक्षा के रूप में वित्तीय बोली की राशि के 50 प्रतिशत के समतुल्य अनुसूचित बैंक से मंत्रालय की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा।

जबकि हम -----------बैंक (बैंक का नाम, पता और अन्य सूचना का उल्लेख करें), जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रम अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत गठित निकाय कारपोरेट जिसका मुख्यालय --------------में और शाखा कार्यालय ---------------में स्थित है, मंत्रालय को ठोस और बिना शर्त यह गारंटी देने के लिए सहमत हैं कि क्यूआईपी मंत्रालय के निविदा दस्तावेज में दिए गए शर्तों और निबंधनों का पालन करेगा।

इसलिए, हम बैंक एतद्द्वारा प्रतिज्ञान करते हैं कि हम गारंटीकर्ता हैं, आपके प्रति उत्तरदायी हैं तथा क्यूआईपी की ओर से कुल ----------में ------------------------आपके द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट राशि के लिए आपकी मांग के आधार अथवा कारण जाने बिना उपर्युक्त ------------------(गारंटी की राशि) की राशि आपकी लिखित मांग पर अदा करंगे।

हम, बैंक एतद्द्वारा सहमति दर्शाते हैं, कि मंत्रालय का यह निर्णय कि उक्त निविदा दस्तावेज के शर्तों और निबंधनों के अनुसार अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाने में क्यूआईपी असफल हुआ है और बैंक द्वारा मंत्रालय को देय राशि बैंक के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगी। मंत्रालय और कथित एलओई/अनुमतिधारक के बीच किसी विवाद से इस गारंटी के तहत हमारे उत्तरदायित्व प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हम एतद्द्वारा हमें मांग प्रस्तुत करने से पहले क्यूआईपी से उक्त ऋण की आपकी मांग की अनिवार्यता की छूट देते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि हम न केवल क्यूआईपी के जमानतदाता हैं बल्कि प्राथमिक आभार्य हैं।

हम इस पर भी सहमत हैं, कि इस गारंटी के अंतर्गत निविदा की शर्तों में कोई परिवर्तन, जोड़ अथवा अन्य संशोधन अथवा उसके तहत कार्य अथवा निष्पादन हमें किसी बाध्यता से छूट नहीं देंगे तथा हम एतद्द्वारा किसी परिवर्तन, जोड़ अथवा संशोधन इत्यादि के नोटिस को छूट देते हैं।

हम --------------बैंक, एतदद्वारा घोषणा करते हैं और सहमत हैं कि :

(क) **इसमें निहित गारंटी वित्तीय बोली खोलने की तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने तक पूरी तरह प्रवृत्त होगी।** यह तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक वित्तीय बोली के तहत मंत्रालय के देय पूरी तरह अदा नहीं किए जाते हैं तथा उसके दावे पूरे नहीं किए जाते अथवा निष्पादित नहीं किए जाते अथवा जब तक मंत्रालय यह सूचित नहीं करता कि उक्त निविदा की शर्तें और निबंधन उक्त क्यूआईपी द्वारा पूर्ण और उचित रूप से पूरे नहीं किए जाने और तदनुसार इस गारंटी का निष्पादन नहीं किया जाता।

(ख) मंत्रालय को इसके अंतर्गत उक्त निविदा की कोई भी शर्त और निबंधन में हमारी स्वीकृति तथा किन्हीं बाध्यताओं को किसी भी प्रकार से निष्पादित किए बिना अथवा समय-समय पर उक्त क्यूआईपी द्वारा किन्हीं बाध्यताओं का निष्पादन करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने अथवा उक्त क्यूआईपी के विरूद्ध मंत्रालय द्वारा किसी समय अथवा समय-समय पर किन्हीं शक्तियों का प्रयोग स्थगित करने तथा उक्त निविदा से संबंधित किन्हीं शर्तों और प्रबंधनों स्थगन अथवा प्रवृत्त करने की पूरी स्वतंत्रता होगी तथा उक्त क्यूआईपी में किसी परिवर्तन अथवा विस्तार की स्वीकृति के कारण हम अपनी देनदारी से मुक्त नहीं होंगे अथवा मंत्रालय की ओर से परिहार कार्य अथवा विलोपन अथवा मंत्रालय द्वारा उक्त क्यूआईपी को कोई दंडमोचन अथवा जमानत से संबंधित कानून के तहत ऐसा मामला अथवा वस्तु देना इस प्रावधान के तहत होगा, का मुक्त करने पर प्रभाव होगा।

(ग) क्यूआईपी के विरूद्ध हमारा कोई भी दावा सशर्त होगा और इसके तहत हमारी सभी बाध्यताओं के पूरे भुगतान और निष्पादन से पहले अधीन होगा तथा हम मंत्रालय की

लिखित स्वीकति के बिना ऐसे भुगतान अथवा निष्पादन के संबंध में किसी कानूनी अधिकार अथवा किसी प्रकार के उपाय का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक हमारा दायित्व और बकाया बना रहेगा।

(घ) यह गारंटी अटल रहेगी और इसकी हमारी बाध्यता हमारे अथवा क्यूआईपी द्वारा कोई नोटिस दिए बिना सशर्त नहीं रहेगी।

(ङ) बैंक मंत्रालय की पूर्वानुमति के बिना प्रचालन के दौरान गारंटी नहीं हटाएगा।

बैंक अपनी संगठन शक्ति के अंतर्गत -------------को अपनी गारंटी देता है जिन्होंने बैंक की ओर से हस्ताक्षर किया हैं, इस गारंटी के निष्पादन के लिए प्राधिकृत हैं।

यह गारंटी बैंक अथवा क्यूआईपी के नाम, संघटक अथवा पते में किसी परिवत्रन के कारण निष्पादित अथवा प्रभावित नहीं की जाएगी।

यह गारंटी वित्त्तीय बोली शुरू करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा दोष दायित्व प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि के बाद 28 दिन तक वैध रहेगी।

गारंटीकर्ता का हस्ताक्षर और मुहर --

बैंक का नाम ---

पता --

तिथि ---

की उपस्थिति में :

1. --

(नाम और व्यवसाय)

2. --

(नाम और व्यवसाय)